

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


## प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापक को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रमेश चन्द रावल, राउमावि. लोटियाना अजमेर	अर्थशास्त्र	07.11.57	30.11.2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिक के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 26/7/2017

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-1, अजमेर
3. प्रधानाचार्य राउमावि लोटियाना, अजमेर
- ✓ अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- ✓ सम्बन्धित कार्मिक
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर